न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमति सुमन सोनल (आर.ए.एस.)
मुकदमा संख्या: 07/2020 दर्ज दिनांक: 16.01.2020
जी.सी.एम.एस. न0: 2020/00020

1. बलदेवाराम पुत्र श्री झाबर मल जाति माली निवासी ग्राम गुड़ा ढहर तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं।
2. बलवीर सिंह पुत्र श्री झाबर मल जाति माली निवासी ग्राम गुड़ा ढहर तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं।
3. बनवारी लाल दईया पुत्र श्री झाबर मल माली निवासी ग्राम गुड़ा ढहर तह. तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं।

वादी.......

<u>बनाम</u>

1. जोरूराम पुत्र श्री झाबर मल
2. धूडाराम पुत्र श्री झाबर मल
3. शंकरलाल पुत्र श्री झाबर मल
4. बिशनाराम पुत्र श्री झाबर मल
5. पतासी देवी पत्नी श्री झाबर मल
6. बनारसी पुत्री श्री झाबर मल
7. भागोती पुत्री श्री झाबर मल
8. संजय कुमार पुत्र श्री मांगूराम
9. मदनलाल पुत्र श्री मांगूराम
10. गीता पुत्री श्री मांगूराम
11. मोटा पुत्र श्री मांगूराम
12. संतोष पुत्र श्री मांगूराम
13. प्रभाती पुत्री श्री मांगूराम
14. मन्नी पुत्री श्री मांगूराम
15. चावली पुत्री श्री मांगूराम
16. मनोहरी पुत्री श्री मांगूराम
17. बसन्ती पत्नि श्री मांगूराम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी (झुंझुनूं)

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

AnyScanner

18.छोटूराम पुत्र श्री ईश्वर
19.गुली देवी पत्नि स्व. ईशर
20.माया पुत्री श्री ईश्वर
21.बिमला पुत्री श्री ईश्वर
22.मोहनी पुत्री श्री ईश्वर
23.सरोज पुत्री श्री ईश्वर
24.सुनिता पुत्री श्री ईश्वर
25.किशनी पत्नि स्व. श्री भोलू
26.रूड़ाराम पुत्र श्री भोलू
27.महेश पुत्र श्री रामेश्वर
28.सुरेश पुत्र श्री रामेश्वर
29.मनोहरी पत्नि श्री रामेश्वर
30.मींवाराम पुत्र श्री भोलू
31.मूला पुत्र दोला समस्त जातियान माली निवासीगण ग्राम गुडाढहर तह. उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं राज्य राजस्थान।
32.राजस्थान सरकार भूमिधारक जरिये तहसीलदार, तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

प्रतिवादी............

::विद्वान अधिवक्ता वादीः— श्री रामचन्द्र सैनी

::विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीः— एकपक्षिय

वाद घोषणार्थ

निर्णय

निर्णय दिनांकः— 28.03.2025

वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद—पत्र मय शपथ पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम गुडा ढहर पटवार हल्का गुडा के भूमि ख.नं. 2304/842 रकबा 0.06 हैक्टर भूमि अवस्थित है। उक्त वर्णित भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 7 का 1/5 हिस्सा तथा प्रतिवादी नम्बर 8 लगायत 17 का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी 18

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

लगायत 24 का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी नम्बर 25 लगायत 30 का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी नम्बर 31 का हिस्सा 1/5 है। राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा तथा मौके पर कब्जे को लेकर पक्षकारों में किसी प्रकार का विवाद नहीं है।

वादीगण के पिता झाबर पुत्र श्री दौला फौत होने पर नामान्तरकरण सं. 488 दिनांक 31.05.2018 को तस्दीक किया गया। जिसमें वादी बलदेवाराम के बजाय महावीर प्रसाद नाम दर्ज किया है। वादी को बलदेवाराम व महाबीर प्रसाद दो नामों में जाना जाता है। ग्राम पंचायत गुडा द्वारा जारी पहचान-पत्र, आधार-कार्ड, मतदाता पहचान-पत्र, भामाशाह कार्ड, परिवार राशन कार्ड, शैक्षणिक दस्तावेज आदि वादी के नाम से है। वादी नम्बर 02 बलबीर सिंह पुत्र झाबर मल के बाजय बलबीर पुत्र झाबर सहवन से गलत दर्ज किया है तथा वादी नम्बर 03 बनवारी लाल दईया पुत्र झाबरमल के बजाय बनवारी लाल पुत्र झाबर गलत दर्ज सहवन से हो गया। जबकि वादीगण के अन्य सभी दस्तावेजों में सही नाम का अंकन है। इस प्रकार वादीगण अपना सही नाम की खातेदारी घोषणा करवाना चाहते है। इसलिए वाद घोषणा का पेश करना आवश्यक हुआ है।

वादीगण ने एक वाद उनवानी बलदेवाराम वगैरह बनाम जोरूराम वगै. मु.नं. 72/2019 न्यायालय हाजा में पेश किया था। उक्त वाद-पत्र में ग्राम गुडाढहर के वर्तमान ख.नं. 841 रकबा 0.5390 हैक्टर, ख.नं. 849 रकबा 0.88 हैक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 1.4190 हैक्टर के राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादीगण का नाम महाबीर प्रसाद, बलबीर, बनवारी लाल पिता झाबर के बजाय बलदेवाराम, बलबीर सिंह, बनवारी लाल दईया पुत्रगण स्व. झाबरमल दुरूस्त किये जाने का ओदश दिनांक 16.07.2019 को पारित किया था। निर्णय व डिकि के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन हो चुका है लेकिन सहवन से भूमि ख.नं. 2304/842 रकबा 0.06 हैक्टर किस्म चाही भूमि वाद-पत्र में अंकन होने से वंचित रह गई। जिस कारण इस नम्बर में वादीगण का नाम दुरूस्त होने से वंचित रह गया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

अंत में निवेदन किया गया कि राजस्व ग्राम गुडा ढहर पटवार हल्का गुडा की सरहद में स्थित वर्तमान ख.नं. 2304/842 रकबा 0.06 हैक्टर किस्म चाही में वादीगण का राजस्व रिकार्ड में दर्ज नाम महाबीर प्रसाद, बलबीर, बनवारी लाल पुत्रगण झाबर के बजाय बलदेवाराम, बलबीर सिंह, बनवारी लाल दईया पुत्रगण झाबरमल के नाम से काश्तकार खातेदार घोषित किये जाने का आदेश फरमाया

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

AnyScanner

जावें व राजस्व ग्राम गुडा ढहर पटवार हल्का गुडा की सरहद में स्थित भूमि ख. नं. 841 रकबा 0.5390 हैक्टर, ख.नं. 849 रकबा 0.88 हैक्टर कुल किता 02 का कुल रकबा 1.4150 हैक्टर में वादीगण का राजस्व रिकार्ड में दर्ज नाम बलदेवाराम, बलबीर सिंह, बनवारी लाल दईया पुत्रगण स्व. झाबरमल के बजाय बलदेवाराम, बलबीर सिंह, बनवारी लाल दईया पुत्रगण स्व. झाबर मल के नाम से काश्तकार खातेदार घोषित किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

वाद–पत्र दर्ज किया गया व तलवी प्रतिवादीगण जारी की गई। बाद तामील अनुपस्थित रहने पर समस्त प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में साक्ष्य के शपथ–पत्र समस्त वादीगण के पेश किये गये।

बहस वाद–पत्र श्रवण की गई। बहस के दौरान वकील वादी ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि राजस्व ग्राम गुडा ढहर पटवार हल्का गुडा की सरहद में स्थित वर्तमान ख.नं. 2304/842 रकबा 0.06 हैक्टर किस्म चाही में वादीगण का राजस्व रिकार्ड में दर्ज नाम महाबीर प्रसाद, बलबीर, बनवारी लाल पुत्रगण झाबर के बजाय बलदेवाराम, बलबीर सिंह, बनवारी लाल दईया पुत्रगण झाबरमल के नाम से काश्तकार खातेदार घोषित किये जाने का आदेश फरमाया जावें व राजस्व ग्राम गुडा ढहर पटवार हल्का गुडा की सरहद में स्थित भूमि ख.नं. 841 रकबा 0.5390 हैक्टर, ख.नं. 849 रकबा 0.88 हैक्टर कुल किता 02 का कुल रकबा 1.4150 हैक्टर में वादीगण का राजस्व रिकार्ड में दर्ज नाम बलदेवाराम, बलबीर सिंह, बनवारी लाल दईया पुत्रगण स्व. झाबरमल के बजाय बलदेवाराम, बलबीर सिंह, बनवारी लाल दईया पुत्रगण स्व. झाबर मल के नाम से काश्तकार खातेदार घोषित किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। बहस श्रवण करने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर इस निर्णय पर पहुचंते है कि राजस्व ग्राम गुडा ढहर पटवार हल्का गुडा की सरहद में स्थित वर्तमान ख.नं. 2304/842 रकबा 0.06 हैक्टर किस्म चाही में वादीगण का राजस्व रिकार्ड में दर्ज नाम महाबीर प्रसाद, बलबीर, बनवारी लाल पुत्रगण झाबर के बजाय बलदेवाराम, बलबीर सिंह, बनवारी लाल दईया पुत्रगण झाबरमल के नाम से काश्तकार खातेदार घोषित किये जाने का आदेश फरमाया जाना व राजस्व ग्राम गुडा ढहर पटवार हल्का गुडा की सरहद में स्थित भूमि ख.नं. 841 रकबा 0.5390 हैक्टर, ख.नं. 849 रकबा 0.88 हैक्टर

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

AnyScanner

कुल किता 02 का कुल रकबा 1.4150 हैक्टर में वादीगण का राजस्व रिकार्ड में दर्ज नाम बलदेवाराम, बलबीर सिंह, बनवारी लाल दईया पुत्रगण स्व. झाबरमल के बजाय बलदेवाराम, बलबीर सिंह, बनवारी लाल दईया पुत्रगण झाबर मल के नाम से काश्तकार खातेदार घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है। उक्त विवेचन के अनुसार वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र स्वीकार किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतित होता है।

–::आदेश::–

वादीगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व ग्राम गुडा ढहर पटवार हल्का गुडा की सरहद में स्थित वर्तमान ख.नं. **2304 / 842** रकबा **0.06** हैक्टर किस्म चाही में वादीगण का राजस्व रिकार्ड में दर्ज नाम महाबीर प्रसाद, बलवीर, बनवारी लाल पुत्रगण झाबर के बजाय बलदेवाराम, बलबीर सिंह, बनवारी लाल दईया पुत्रगण झाबरमल व राजस्व ग्राम गुडा ढहर पटवार हल्का गुडा की सरहद में स्थित भूमि ख.नं. **841** रकबा **0.5390** हैक्टर, ख.नं. **849** रकबा **0.88** हैक्टर कुल किता **02** का कुल रकबा **1.4150** हैक्टर में वादीगण का राजस्व रिकार्ड में दर्ज नाम बलदेवाराम, बलबीर सिंह, बनवारी लाल दईया पुत्रगण स्व. झाबरमल के बजाय बलदेवाराम, बलबीर सिंह, बनवारी लाल दईया पुत्रगण झाबर मल शुद्व / दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार उदयपुरवाटी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी हो। उक्त खसरा नम्बरान के शेष इन्द्राज बदस्तुर रहेंगे।

(सुमन सोनल)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

निर्णय आज दिनांक 28.03.2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुमन सोनल)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

	कार्यवाही विवरण	अनुपालना के क्रमांक व दिनांक
	28/1/25 पत्रावली पेश हुई । वकील पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी महोदय वी. सी./जनसुनवाई/बैठक/आर. ओ. बैठक/राजकार्य में व्यस्त है । पत्रावली वास्ते गत-आदेशानुसार दिनांक 7/2/25 को पेश हो । रीडर	
	7/2/25 पत्रावली पेश हुई । वकील पक्षकारान उपस्थित । पत्रावली वास्ते जवाब व बहस दिनांक 27/2/25 को पेश हो । उपखण्ड अधिकारी	
	27/2/25 पत्रावली पेश हुई अभिभाषकगण ने न्यायालय कार्य का बहिष्कार/स्थगन पर रखा । अतः पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 19/3/25 को पेश हो।	
	19/3/25 पत्रावली पेश हुई । वकील उप०। वकील वादी ने वादी सं. 1 व 3 की ओर से स्वामित्व के शपथ-पत्र पेश किये। बहस बगौर सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश आईंदा दिनांक 28/3/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी	
	28/3/25 पत्रावली पेश हुई। वकील उप.। बहस पर मनन किया गया व वाद-पत्र व उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वाद-वादी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। वाद-वादी स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से टंकित होकर शामिल मिसल होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी	